

कार्यवाही विवरण

आदेश

5/12/20

पत्रावली 94 ध 93-94 का पत्रावली का पत्रावली  
 30 दिनांक 5/12/20 का 12/12/20 का  
 उपखण्ड  
 उपखण्ड अधिकारी

1/1/21

पत्रावली 94 ध 93-94 का पत्रावली का पत्रावली  
 30 दिनांक 5/12/20 का 12/12/20 का  
 उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी (नीमकाथना)  
 13.9.24 का 21

17/9/24

पत्रावली 94 ध 93-94 का पत्रावली का पत्रावली  
 30 दिनांक 5/12/20 का 12/12/20 का  
 उपखण्ड अधिकारी

15/10/24

पत्रावली 94 ध 93-94 का पत्रावली का पत्रावली  
 30 दिनांक 5/12/20 का 12/12/20 का  
 उपखण्ड अधिकारी

16<sup>th</sup> पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी  
 महोदय वी. सी. राजकार्य में उपस्थित हैं।  
 अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही  
 दिनांक 24-2-25 को पेश हो

पत्रावली पेश हुई। यकील पक्षकारान उपस्थित।  
 पीठासीन अधिकारी महोदय वी. सी. राजकार्य में उपस्थित हैं।  
 बैठक/आर. ओ. बैठक/राजकार्य में उपस्थित हैं।  
 पत्रावली वास्ते गत-आदेशानुसार दिनांक 13/1/25  
 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

पीलासीन अधिकारी : सुमन शोमल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 60/2020

दायर दिनांक- 13.03.2020

- 1 बाबूलाल पुत्र प्रभात जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 11 पचलंगी तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
- 2 सीताराम पुत्र प्रभात जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 11 पचलंगी तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
- 3 रामोतार पुत्र प्रभात जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 11 पचलंगी तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

-वादी

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र मूलाराम (फौत)
  - 1/1 चन्द्रकला पत्नी बनवारीलाल
  - 1/2 कैलाश पुत्र बनवारीलाल
  - 1/3 पूर्णमल पुत्र बनवारीलाल
  - 1/4 दामोदर पुत्र बनवारीलाल
  - 1/5 देवाराम पुत्र बनवारीलाल
  - 1/6 सुभाष पुत्र बनवारीलाल
  - 1/7 गोपाल पुत्र बनवारीलाल
  - 1/8 सुप्यार पुत्री बनवारीलाल
  - 1/9 ग्यारसी पुत्री बनवारीलाल
  - 1/10 कोशल्य पुत्री बनवारीलाल
2. मधु पुत्री प्रभात पत्नी मूलचन्द्र
3. मोहनी पुत्री प्रभात पत्नी किशनलाल
4. संतोष पुत्री प्रभात पत्नी मुरारीलाल समस्त जाती ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 11 पचलंगी तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
5. शिवकोरी देवी पत्नी ग्यारसीलाल
6. पेपसिंह पुत्र गिरधारी
7. श्योदानसिंह पुत्र गिरधारी जाती ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 11 पचलंगी तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
8. भूमि धारक जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

-प्रतिवादीगण



पकीक वादी : - श्री अभिषेक शर्मा  
वकीले पी. नं. :- श्री विकास भाकर

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

--: निर्णय ::--

दिनांक : 28.03.2025

वाद वादी दिनांक 10.09.2021 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार उदयपुरवाटी को मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू0 अ0/2025/314 दिनांक 06.02.2025 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। उभय पक्ष ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निर्णय किये जाने हेतु सहमति दी। पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--:आदेश:-

वाद वादी मुताबित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.02.2025 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.02.2025 मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री व अंतिम निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।



निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

(सुमन सोनल)

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं  
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं० - 60/2020

दर्ज दिनांक: 25.04.2024

जीसीएमएस न० 2020/00133

निर्णय दिनांक -

बाबूलाल

बनाम

बनवारी

दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...-..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.02.2025 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.02.2025 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज..-.....निल..... मुबलिक -.....निल..... दाबन.-.....  
.....निल..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.....  
.....निल..... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -.....  
निल..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज  
तारीख माह सन को जारी की गई।

(सुमन सोनल)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी